जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/56 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 2 अप्रैल 2021

भाग-1

मिशन मास्टर प्लान

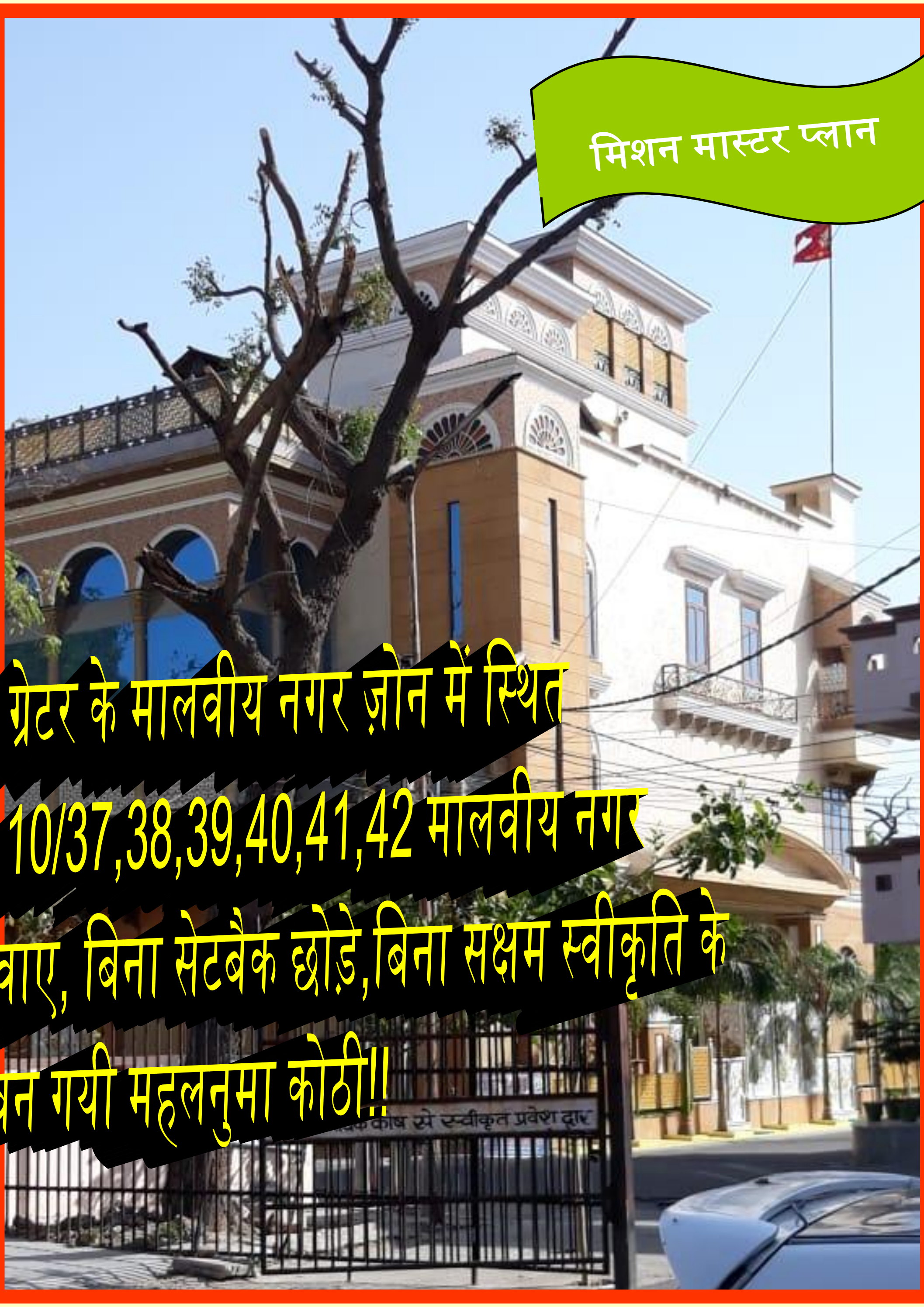

नगर निगम ग्रेटर के मालवीय नगर ज़ोन में स्थित आवासीय भूखंडो 10/37,38,39,40,41,42 मालवीय नगर को बिना पुनर्गठन करवाए, बिना सेटबैक छोड़े,बिना सक्षम स्वीकृति के बन गयी महलनुमा कोठी!!

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

प्रथम सुचना रिपोर्ट		
1.	भूखंड का पता	10/37,38,39,40,41,42 मालवीय नगर जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना सेटबैक नियमों की पालना किये,बिना सक्षम स्वीकृति के,बिना पुनर्गठन करवाए महलनुमा बंगले का निर्माण
3.	बिल्डर/सम्बंधित फार्म	नामालूम
4.	सम्बंधित ज़ोन	मालवीय नगर ज़ोन,नगर निगम ग्रेटर
5.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी	उपायुक्त सुरेश चौधरी,मालवीय नगर ज़ोन
6.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	02/04/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा उक्त भूखंडों 10/37,38,39,40,41,42 मालवीय नगर को पुनर्गठित करवा लिया गया है?
2. क्या आवासन मंडल के उक्त भूखंडों को नियमानुसार पुनर्गठन किया जा सकता है?
3. आवासन मंडल/निगम के नियमानुसार यह महलनुमा आलिशान बंगला वैध है या अवैध?
4. भवन मालिक द्वारा किसकी अनुमति से इस महलनुमा आलिशान बंगले का निर्माण करवाया गया है?क्या इस बंगले के नक़्शे पास है?
5. यह मामला हमारे द्वारा मालवीय नगर ज़ोन के आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या मालवीय नगर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
6. क्या मालवीय नगर ज़ोन के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
7. क्या इस अवैध निर्माणों के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
8. कौन है इस भव्य अवैध कोठी का मालिक और क्या है उसके रसूखात?क्या करता है यह रसूखदार?
9. करोड़ों रुपयों में बनी यह कोठी काले धन से बनायीं गयी है या फिर ईमानदारी के पैसों से?